

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

श्री गौशाला समिति केसरीसिंहपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 4 /2022

निर्णय दिनांक :- 06.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी श्री गौशाला समिति केसरीसिंहपुर सचिव पेश होने पर आदेश दिया जाता  
है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,  
भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर-चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के  
खाता संख्या 96/93 में अंकित नाम सार्वजनिक ट्रस्ट भूमि गउशाला केसरीसिंहपुर के स्थान पर श्री  
गौशाला समिति केसरीसिंहपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व  
रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

| मुददई             | रूपया | पैसा | मुदायली           | रूपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदावा  | 02    | 00   | स्टाम्प वकालतनामा | 00    | 00   |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00    | 00   | स्टाम्प अरजी      | 00    | --   |
| स्टाम्प ड्यूटी    | 00    | 00   | मेहनताना वकली पर  | 00    | --   |
| योग               | 02    | 00   | योग               | 00    | 00   |



क्रमांक: रीडर/ 2022/08

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित. हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

दिनांक: 6/1/22



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर